



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

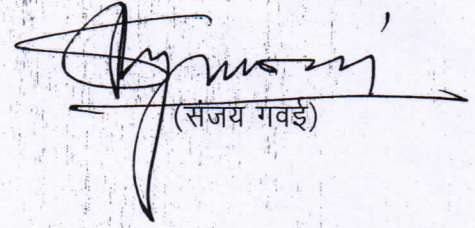
फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2009/वि.प. (22)/2015/252

दिनांक: 31.03.2015

कार्यालयादेश

कुलपति की अध्यक्षता में संकाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं केंद्र निदेशकों की बैठक दिनांक 25.02.2015 में की गयी अनुशंसाओं तथा 14 मार्च, 2015 को आयोजित विद्या-परिषद की 22^{वीं} बैठक की मद संख्या 07 के अंतर्गत अनुमोदन के आलोक में विद्यार्थियों द्वारा जमा की जानेवाली **सुरक्षा राशि** को उनके द्वारा विश्वविद्यालय छोड़ने पर वापस न कर **पूर्व विद्यार्थी सदस्यता शुल्क (Alumni Membership Fees)** के तौर पर **समायोजित** किया जाएगा।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
5. वित्त विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
6. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र /अनुभाग/क्षेत्रीय केंद्र
7. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल